

क्रमांक 3317018/छ.ग./2018
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /03/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता,

1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर
3. हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर
4. हसदेव कछार, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
5. मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
6. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर
7. परियोजना प्रशासक, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर
8. परियोजना प्रशासक, हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, बिलासपुर

विषय :- द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के पालन प्रतिवेदन के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-23/31/स्था./2017 दिनांक 26.03.2018

विषयांतर्गत शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। प्रकरण में निर्देश है कि आपकी संचरणाधीन समस्त रिक्त उपसंभागों में संभागीय/मंडल कार्यालय में पदस्थ/संलग्न सहायक अभियंता/अनुविभागीय अधिकारी स्तर के अधिकारियों को आन्तरिक/वैकल्पिक व्यवस्था के तहत तत्काल प्रभाव से कार्य संपादित करने हेतु पदस्थ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। आन्तरिक व्यवस्था के पश्चात यदि कोई उपसंभाग का पद रिक्त रह जाता है या उपअभियंता को प्रभार सौंपा गया है, तो इसकी जानकारी 03 दिवस के अन्दर अनिवार्यतः उपलब्ध कराते हुये पालन प्रतिवेदन से यथाशीघ्र अवगत कराया जाना, साथ ही शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर
दिनांक २७/०३/२०१८

पृ. क्र. 3317018/छ.ग./2018
प्रतिलिपि :-

/5088

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, जल संसाधन, आयाकट, कृषि एवं जैव-प्रौद्योगिकी, पशुपालन, मछलीपालन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग
4. समस्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग
5. एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर वेबसाईट www.cgwrd.in पर अपलोड हेतु।
6. मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-3 से 6 के लिये)


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर
२५/३/१८

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

पृष्ठ ११ (29)

रायपुर, दिनांक २६/०३/२०१८

क्रमांक एफ ०१-२३/३१/स्था./२०१७ : - जल संसाधन विभाग अन्तर्गत वर्ककिंग सीजन कार्य प्रगति पर है। महत्वपूर्ण योजना कार्य को समय पर सम्पादित कराये जाने में यह बात सामने आयी है कि मंडल/संभाग के अन्तर्गत अनुविभागीय स्तर के कई पदों पर उपअभियंतागण प्रभारी अनुविभागीय के रूप में कार्य सम्पादित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उपसंभाग/संभाग में सहायक अभियंता/अनुविभागीय अधिकारी स्तर के कई पद रिक्त हैं। जिससे निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिकता के आधार पर सुचारु रूप से कार्य सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से कछार अन्तर्गत उपसंभाग/संभाग के रिक्त पदों पर पदस्थापना की जाना अतिआवश्यक है। हालही में सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति/पदस्थापना उपसंभाग/संभाग/मंडल में की गई है।

अतएव वर्णित स्थिति एवं प्राथमिकता से कार्य सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि कछार अन्तर्गत ऐसे समस्त रिक्त उपसंभागों के संभागीय/मंडल कार्यालय में पदस्थ/संलग्न में से आन्तरिक/वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सहायक अभियंता/अनुविभागीय अधिकारी के स्तर के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्य सम्पादित करने हेतु पदस्थ किये जाने की कार्यवाही प्रमुख अभियंता/सभी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा सुनिश्चित की जाए। आन्तरिक व्यवस्था के पश्चात् भी यदि कोई उपसंभाग का पद रिक्त रह जाता है या उपअभियंता को प्रभार सौंपा गया है, तो इसकी जानकारी ०१ सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावें।

उपरोक्त आन्तरिक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कर, पालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

(याकुब खैर)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

जल संसाधन विभाग

रायपुर, दिनांक २६/०३/२०१८

पृष्ठा० क्रमांक एफ ०१-२३/३१/स्था./२०१७,
प्रतिलिपि :-

१. विशेष सहायक, मान० मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
२. निज सहायक, सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
३. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिविल लाईन, सिहावा भवन, रायपुर।
४. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर।
५. समस्त अधीक्षण अभियंता, मंडल, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
६. समस्त कार्यपालन अभियंता, संभागीय कार्यालय जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
७. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

जल संसाधन विभाग